

२५.३.२०

२५.३.२० मूल वाद निरर्थक किया जा चुका है अतः

दस्तावेज प्रार्थनापत्र स्विकार किया जाकर

पशावनी का निष्पन्न रूप की जाती है।

हरि

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
लुम्बिनी

